

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5404 जिसका उत्तर
गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाना है

नए समुद्री पत्तनों का निर्माण

5404. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राँव:

श्री मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश सहित देश में नए समुद्री पत्तनों का निर्माण करने/शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रत्येक पत्तन की लागत कितनी है और पत्तन का निर्माण पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और
- (ग) आंध्र प्रदेश में दुगराजपत्तनम पत्तन सहित देश में निर्माण के लिए प्रस्तावित विभिन्न समुद्री पत्तनों के कार्य की प्रगति क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर समुद्री पत्तनों का निर्माण व्यवहार्यता अध्ययनों एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है। निर्माण के लिए प्रस्तावित पत्तनों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5404 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विकसित करने के लिए प्रस्तावित महापत्तनों और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	विकसित करने के लिए प्रस्तावित महापत्तन	वर्तमान स्थिति
1.	एनायम	<p>केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 05.07.2016 को एनायम (तमिलनाडु) में पत्तन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>इसके बाद, वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की। तथापि, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण डीपीआर पूरी नहीं की जा सकी।</p>
2.	दुग्गिराजुपट्टणम	<p>दुग्गिराजुपट्टणम में पत्तन विकसित करने की परियोजना को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची XIII में शामिल किया गया है। नीति आयोग ने सूचित किया है कि प्रस्तावित पत्तन के नज़दीक स्थित कृष्णपट्टणम, एन्नौर और चेन्नई पत्तनों जो क्रमशः 40, 80 और 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं, से प्रबल प्रतिस्पर्धा के कारण यह परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी। नीति आयोग ने इस बात को भी नोट किया कि नज़दीकी पत्तनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये पत्तन अभी केवल 65% क्षमता पर प्रचालन कर रहे हैं। तथापि, फिलहाल पोत परिवहन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में एक महापत्तन विकसित करने के प्रस्ताव की जांच करने और इस मामले में आगे की कार्य योजना की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।</p>